

9.05.18

अधिवक्ता अग्री० व राजकीय अधिवक्ता रूपका
मूल प्रकरणा का निर्णय हो चुका है। इसलिये
शा० पत्र स्थगन विचाराधीन रखे जाने का
कोई औचित्य नहीं है। अतः शा० पत्र स्थगन
खारिज किया जाता है। मूल प्रकरण में
संलग्न रहे। खुले न्यायालय सुनाया गया।



जिला मजिस्ट्रेट